निग -1621-PBR-16

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.), केम्प इन्दौर के समक्ष

निगरानी प्रकरण क्र. : /2016

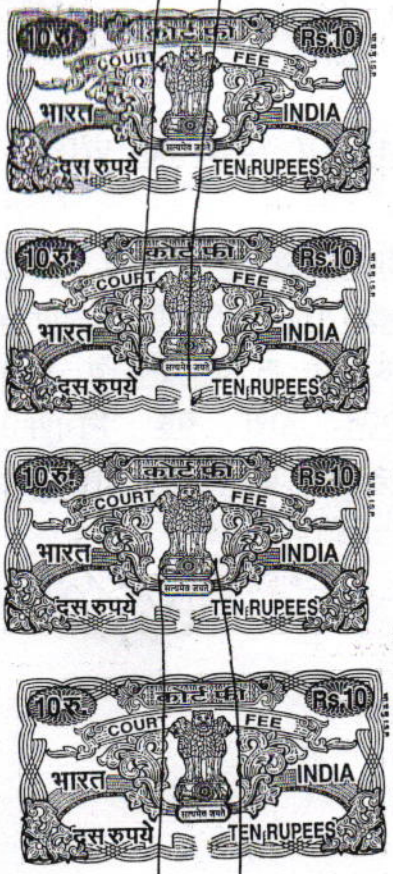

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री सुरेन्द्र विवरेकर
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 04-05-2016 को प्रस्तुत।
325
04-05-2016
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

1— **सुरेश पिता जीयालाल,**
निवासी — 31, लालाराम नगर, इन्दौर

2— **दिनेश पिता जीयालाल,**
निवासी — 31, लालाराम नगर, इन्दौर

3— **विजय पिता जीयालाल,**
निवासी — 31, लालाराम नगर, इन्दौर

4— **श्रीमती मायाबाई पति नंदकिशोर परदेशी,**
नि. गोलानी बिल्डिंग के पीछे, साकरी फांटा,
जिला भुसावल (महाराष्ट्र)

5— **श्रीमती बाबलाबाई पति कैलाश परदेशी,**
नि. गोलानी बिल्डिंग के पीछे, साकरी फांटा,
जिला भुसावल (महाराष्ट्र)

6— **श्रीमती भारती पति प्रकाश परदेशी,**
नि. गोलानी बिल्डिंग के पीछे, साकरी फांटा,
जिला भुसावल (महाराष्ट्र) —— **याचिकाकर्तागण**

<u>विरूद्ध</u>

1— **अनिल पिता नंदकिशोर जैन,**
निवासी पार्क ऐवेन्यू के सामने, ग्राउण्ड फ्लोर,
फ्लेट क्र. 3 व 4, कंचनबाग मेनरोड,
इन्दौर

2— **राजेन्द्रसिंह पिता सुल्तानसिंह,**
निवासी — 03, बैकुण्ठधाम, साकेत नगर,
इन्दौर

3— **जितेन्द्र पिता कन्हैयालाल धोबी,**
निवासी — 33, लालाराम नगर, सफेद टंकी
के पास, इन्दौर

4— **दिलीप पिता कन्हैयालाल धोबी**
निवासी — 33, लालाराम नगर, सफेद टंकी

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50(1) म.प्र. भू–राजस्व संहिता

माननीय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्र. 242/15–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 29.03.2016 से असंतुष्ट व दुखी होकर याचिकाकर्तागण द्वारा यह निगरानी अतिरिक्त मुद्दे एवं आधारों पर सादर प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1621–पीबीआर/16 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–6–2016	आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 29–3–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा इस निष्कर्ष के साथ अपील अग्राह्य की गई है कि आवेदकगण द्वारा जिस बटांकन आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है उसी के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है और व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है । ऐसी स्थिति में व्यवहार वाद प्रस्तुत करने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समाप्त की गई है, जो कि प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	